

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 981/2026
URN: CFA / 1578U / 2026

Sonasingh Son Of Kartarsingh

-----Appellant

Versus

Smt. Jayda and Anr.

-----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Jai Raj Tantia
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

14/07/2026

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अतः समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थीगण वादग्रस्त संपत्ति को प्रकरण की आगामी तिथि तक आराजी खसरा नंबर 70 रकबा 5.88 वाके ग्राम मुसेपुर तहसील तिजारा अलवर जिसका रकबा 1.44 है, का 1/3 भाग को किसी तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न करने के उद्देश्य से किसी भी तरह से तीसरे पक्ष को बेचान/अंतरण, रहन नहीं करें और ना ही करावें। उक्त आदेश प्रत्यर्थीगण पर नोटिस तामील होने के पश्चात प्रभावी होगा। यह स्थगन आदेश मात्र आगामी पेशी तक है और प्रत्यर्थीगण के उपस्थित होने पर दोनों पक्षों को सुनकर स्थगन प्रार्थना पत्र पर नए सिरे से आदेश पारित किया जाएगा।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पी.एफ. व नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार नोटिस जारी किए जावें

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J